कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

पुनर्व्यवस्थापन हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2016–17

"विज्ञप्ति"

क्रमांक/आब./ठेका/2016/ 3691 रायपुर, दिनांक 04-8-16

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, रायगढ़ जिले की **देशी/विदेशी मदिरा की देशी/विदेशी मदिरा समूह क्रमांक 01, बड़पारा समूह के पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 05.08.2016 से दिनांक 09.08.2016 तक इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर ऑन–लाईन आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।**

लॉटरी द्वारा चयन की तिथि दिनांक 10.08.2016 समय अपरान्ह 12:00 बजे से तथा लायसेंसी का चयन करने का स्थान जिला कलेक्टोरेट रायगढ़ रहेगा।

2/ आवेदन पत्र **https://excise.cg.nic.in/eApplication** के वेब साईट में उपलब्ध रहेगा।

3/ संबंधित जिले की मदिरा दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी, संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

4/ शेष समस्त शर्तें एवं निर्बन्धन, इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक/आब./ठेका/2016/491–492, रायपुर दिनांक 10.02.2016 के अनुसार ही होगी, जिसका अवलोकन संबंधित जिला कार्यालय में अवकाश दिवसों के छोड़कर कार्यालयीन अवधि के अतिरिक्त विभाग के वेब साईट **http://excise.cg.nic.in** के Recent Posts **में तथा राज्य शासन के वेबसाईट** http://cgstate.gov.in **के** सूचना निर्देशिका एवं **लिंक** http://cgstate.gov.in/tenders में भी किया जा सकता है।

5/ इसके बाद भी यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब विभाग **प्रथम आओ–प्रथम पाओ** की नीति पर उक्त दुकानों का व्यवस्थापन कर सकेगा।

(ए.के. अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृष्ठा.क्रमांक/आब/ठेका/2016/ 3691 A रायपुर, दिनांक 04-8-16.

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
3. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को उक्त विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर अनुरोध है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
6. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
7. राज्य सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
8. सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैरन बाजार, रायपुर
9. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
10. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग–बिलासपुर (छ.ग).
11. सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–रायगढ़, (छ.ग).

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04.8.16

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–एक

क्र.	नाम जिला	स मू ह क्र.	नाम दुकान/समूह का नाम	तहसील का नाम	12.08.2016 से 31.03.2017 तक के लिए वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा वर्ष 2016–17			12.08.2016 से 31.03.2017 के लिए ड्यूटी की राशि वर्ष 2016–17 (रु. में)			योग ड्यूटी राशि (रु. में) (कॉलम नं. 9+10+11)	12.08.2016 से 31.03.2017 के लिए लायसेंस फीस वर्ष 2016–17 (रु. में)	वर्ष 2016–17 हेतु शेष माहों के लिए निर्धारित राजस्व (रु.में) (कॉलम नं. 12+13)	शेष माहों के लिए ड्यूटी राशि का प्रतिभूति की राशि (रु.में)	शेष माहों के लिए लायसेंस फीस की प्रतिभूति राशि (रु.में)	माह अगस्त 2016 की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि अर्थात 12.08.2016 से 31.08.2016 तक (रु.में)
					देशी मदिरा (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (प्रू.ली.)	विदेशी मदिरा माल्ट (ब.ली.)	देशी मदिरा (रु.में)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (रु. में)	विदेशी मदिरा माल्ट (रु. में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायगढ़	01	बड़पारा समूह रायगढ़	रायगढ़												
		1	दे.म.दु. बड़पारा रायगढ़		123032	---	---	12303200	---	---	12303200	23284975	35588175	1640000	3045714	1964977
		2	वि.म.दु. सुभाष चौक रायगढ़		---	75020	49360	---	9377500	1234000	10611500	20735222	31346722	1460417	2712202	1749808
			योग :–		**123032**	**75020**	**49360**	**12303200**	**9377500**	**1234000**	**22914700**	**44020197**	**66934897**	**3100417**	**5757916**	**3714785**

टीप :– चयनित लायसेंसी द्वारा प्रतिभूति एवं लायसेंस फीस की राशि जिस तिथि को जमा की जावेगी, उसके पूर्व की तिथियों का समानुपातिक रूप से गणना कर एम.जी. एवं राजस्व में कमी की जावेगी।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
आबकारी विभाग, छ.ग., रायपुर